FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर **मुकाम** (SDO) बाप

पेमाराम **बनाम** खेमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR **नं** 368/2021 **सन** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री महावीर जीनगर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/01/2022 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर (SDO) बाप	
24/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवरी रसीद प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 16/02/2022 को पेश हो। Sd/-	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 3:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिभावक या अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 28/02/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
28/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील बहस करना चाहते है अवसर दिया जावे पत्रावली दिनांक- 23/03/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 199 दिनांक : 23/3/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. पेमाराम पुत्र देराम,
जाति जाट, निवासी बायतु भोपजी,
पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. खेमाराम पुत्र देराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी बायतु भोपजी,
पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 368 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – बायतु भोपजी, पटवार मण्डल – बायतु भोपजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1212 / 441, 1217 / 361 रकबा क्रमशः 1.5290, 0.4530 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 200–204 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पेमाराम पुत्र देराम,
4. विप्रार्थी श्री खेमाराम पुत्र देराम वगैरा 06,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु